राजस्थान विधान सभा

द्वितीय सत्र

कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त, 2014

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री अर्जुन लाल जीनगर एवं श्री दलीचन्द डांगी, सदस्य, विधान सभा, जिला चित्तौडगढ एवं भीलवाडा में नियम विरूद्ध खनन करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में खनिज मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-76 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया हैं;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-77 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-2 में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-78 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-4 में संशोधन किया गया हैं;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-79 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-5 में संशोधन किया गया हैं;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-80 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-18 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया हैं;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-81 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2007/145 दिनांक 9.3.2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया हैं;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-82 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा मार्बल पर संदेय कर की दर निर्धारित की गई है;

जारी..2

8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-83 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों को उनके द्वारा फ्लेटों, वासगृहों या भवनों या अन्य परिसरों के संनिर्माण के लिए उनके द्वारा किये गये करार के संबंध में 31.3.2014 तक प्राप्त प्रतिफल की रकम पर संदेय कर में संशर्त छूट प्रदान की गई है;
9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-84 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत टैन्ट व्यवहारियों को प्रशमन स्कीम, 2011 के अंतर्गत संदेय कर पर सशर्त छूट प्रदान की गई है।
10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-85 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-32 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया हैं;
11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-86 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा स्टेनलैस स्टील शीट्स, सर्किल और बर्तनों के विनिर्माताओं को संदेय कर पर सशर्त छूट प्रदान की गई है।
12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-87 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-33 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया हैं;
13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-88 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थानी भाषा की फिल्मों के प्रदर्शन पर संदेय कर का परिहार किया गया है;
14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-89 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;
15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-90 दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा संगम या स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से किसी व्यापारिक सदस्य द्वारा कार्यान्वित संव्यवहार के अभिलेख के प्रवर्गों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दरें निर्धारित की गई है;
16. अधिसूचना संख्या: एफ.24(1)वित्त/कर/2014-91 दिनांक 31.7.2014 जिसके द्वारा गोलछा थियेटर, जयपुर में विद्यालय के छात्रों के लिए कतिपय फिल्मों को उद्गृहणीय मनोरंजन कर से परिहार किया गया है।

जारी..3

4. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्या-19)

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

"राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014

राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्या-20)

(I) श्री यूनुस खान, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

"राज्य राजमार्गों की घोषणा, विकास, प्रचालन, सुरक्षा और विनियमन, और उससे अनुलग्न भूमि के उपयोग, राजमार्गों और अन्य सडकों के लिए भूमि का अर्जन, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

5. राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार

राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार होगा।

6. आधे घण्टे की चर्चा

श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य, विधान सभा के घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित ढाणियां विषयक् तारांकित प्रश्न संख्या 168(396/ऊर्जा) का उत्तर, जो दिनांक 24 जुलाई, 2014 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर श्री ज्ञानचंद पारख एवं श्री रमेश, सदस्य विधान सभा आधे घण्टे की चर्चा उठायेंगे ।

तौफीक हुसैन हाशमी
उप सचिव (सामान्य)

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 31 जुलाई, 2014